अनुदान संख्या 98 – लक्षद्वीप
GRANT No. 98–LAKSHADWEEP

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	249,47,00	292,48,00	286,73,23	- 5,74,77
पूरक	Supplementary	43,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,20,29
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	169,27,00	176,57,00	175,88,34	- 68,66
पूरक	Supplementary	7,30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				16,95

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (574.77 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 4301.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.574.77 lakhs) constituted 13 percent of supplementary grant of Rs.4301.00 lakhs obtained in March, 2007 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क - गृह मंत्रालय	**A – Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055" राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	Major Head "2055" President/Vice-President/ Governor/Administrator of Union Territories				
मू.	O.	1477.00	1097.76	1047.63	–50.13
पु.	R.	–379.24			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
ख - कृषि मंत्रालय	**B – Ministry of Agriculture**					
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"					
मछली पालन	Fisheries					
मू.	O.		826.00			
पू.	S.		208.00	937.91	935.32	–2.59
पु.	R.		–96.09			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"					
बिजली	Power					
मू.	O.		3242.00			
पू.	S.		965.00	4240.28	4011.12	–229.16
पु.	R.		33.28			
छ - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**G - Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.		944.00	819.20	831.49	+12.29
पु.	R.		-124.80			
झ - माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**I - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.		2325.00			
पू.	S.		386.00	2702.88	2679.13	–23.75
पु.	R.		-8.12			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ड - लघु उद्योग मंत्रालय	**M– Ministry of Small Scale Industries**				
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	306.00			
पू.	S.	43.00	349.24	330.55	–18.69
पु.	R.	0.24			
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	1347.00			
पू.	S.	120.00	1449.69	1441.66	–8.03
पु.	R.	–17.31			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	272.00			
पू.	S.	37.00	412.50	412.16	–0.34
पु.	R.	103.50			

(I) 24.46 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2405'' -

(क) ''मत्स्य शिल्पकला का यांत्रिकीकरण और सुधार - नौका निर्माण बाड़ा'' - 70.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 90.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 50.51 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) नौका निर्माण सामग्री को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.24.46 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2405" -

(a) "Mechanisation and Improvement of Fish Crafts – Boat Building Yard" - the original provision of Rs.70.10 lakhs was augmented to Rs.90.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.50.51 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of boat building materials.

(ख) ''अन्य व्यय - समुद्री जलजीवशाला और संग्रहालय' - 27.04 लाख रु. के मूल प्रावधान को 38.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 65.04 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 46.73 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी औपचारिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – Marine Aquarium and Museum" - the original provision of Rs.27.04 lakhs was augmented to Rs.65.04 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.38.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.46.73 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of procurement formalities of equipments.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''सामान्य - निर्माण - भवन' - 106.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 117.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 20.18 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सचिवालय भवन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2059" – "General – Construction – Building" - the original provision of Rs.106.00 lakhs was augmented to Rs.117.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.20.18 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of tenders for construction II Phase of secretariat building.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन' -

(A) Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation" –

(क) ''लक्षद्वीप में विद्युत आपूर्ति - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य'' - 3206.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 930.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4136.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से दावों का निपटान न किए जाने के कारण 181.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Supply of Electricity in Lakshadweep – Power Plant and Ancillary Works" – the original provision of Rs.3206.50 lakhs was augmented to Rs.4136.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.930.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.181.62 lakhs - due to non-settlement of claims from Directorate General of Supplies and Disposals.

(ख) ''अन्य व्यय - ई-गवर्नेंस के लिए अवसंरचना' - 35.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 35.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 70.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कंप्यूटरों की अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 14.26 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Other Expenditure – Infrastructure for E-Governance" – the original provision of Rs.35.50 lakhs was augmented to Rs.70.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.35.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.26 lakhs - due to non-finalisation of tenders for procurement of computers.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय' - 1142.78 लाख रु. के मूल प्रावधान को 214.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1356.78 लाख रु. कर दिया गया, तथापि,

(B) Major Head "2202" - "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" - the original provision of Rs.1142.78 lakhs was augmented to Rs.1356.78 lakhs by obtaining supplementary grant of

जो आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 43.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2851'' - 'नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा विकास' - 208.52 लाख रु. के मूल प्रावधान को 43.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 251.52 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 12.97 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन- कार्यकारी स्थापना' - 257.80 लाख रु.के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु.का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 280.80 लाख रु.कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने और आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 15.99 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत' - 96.00 के मूल प्रावधान को 37.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 133.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 22.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''जिला पुलिस - लक्षद्वीप पुलिस'' के अंतर्गत 443.52 लाख रु. की बचत (997.07 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पैब्लो नौका के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने और मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2210' - 'लोक स्वास्थ्य - निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य शिक्षा' के अंतर्गत 111.96 लाख रु. की बचत (146.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेषज्ञ डाक्टरों और परा चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

Rs.214.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.43.03 lakhs - due to non-finalisation of Assured Career Progression scheme and non-filling up of vacant posts.

(C) Major Head "2851" - "Coir Industries – Coir Development" - the original provision of Rs.208.52 lakhs was augmented to Rs.251.52 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.43.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.97 lakhs - due to non-finalisation of tenders and non-filling up of vacant posts.

(D) Major Head "2059" – "General - Direction and Administration - Executive Establishment" - the original provision of Rs.257.80 lakhs was augmented to Rs.280.80 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15.99 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of Assured Career Progression scheme.

(E) Major Head "2216" – "Government Residential Building – General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs" - the original provision of Rs.96.00 lakhs was augmented to Rs.133.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.37.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.22.34 lakhs – due to non-finalisation of final bills.

(IV) Under Major Head "2055" – "District Police – Lakshadweep Police" – saving of Rs.443.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.997.07 lakhs) was due to non-finalisation of Memorandum of Understanding with National Ship Design and Research Centre, Vishakhapattanam for construction of Pablo Boat and non-procurement of motor vehicles.

(V) Under Major Head "2210" – "Public Health – Direction and Administration – Health Education" – saving of Rs.111.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.146.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of specialist doctors and para medical staff.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 161.77 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत और 72 प्रतिशत थीं।

(VI) Under two heads savings of Rs.161.77 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 23 percent and 72 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें चार शीर्षों के अंतर्गत 361.59 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थीं।

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.361.59 lakhs under four heads, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
घ - विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष '4801'' बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	**D–Ministry of Power** Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects					
मू.	O.	2800.00		2532.00	2532.00	. .
पु.	R.	–268.00				
द–सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य शीर्ष '5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	**R - Ministry of Road Transport and Highways** Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	100.00		238.54	238.54	. .
पु.	R.	138.54				
ध - जहाजरानी मंत्रालय मुख्य शीर्ष '5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	**S–Ministry of Shipping** Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping					
मू.	O.	10000.00		10939.90	10939.90	. .
पू.	S.	562.00				
पु.	R.	377.90				

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V–Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	17.00			
पू.	S.	10.00	20.00	20.27	+0.27
पु.	R.	–7.00			
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	6.00			
पू.	S.	49.00	25.00	26.00	+1.00
पु.	R.	-30.00			
म - अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	**Y–Ministry of Non-Conventional Energy Sources**				
मुख्य शीर्ष "4810" अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4810" Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	200.00	22.98	22.98	. .
पु.	R.	–177.02			

(I) 26.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.26.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads.

(II) मार्च, 2007 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in March, 2007 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "4851" - " अन्य व्यय - भवन" - 17.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 27.00 लाख रु. कर दिया गया,

(A) Major Head "4851" – "Other Expenditure – Building" - the original provision of Rs.17.00 lakhs was augmented to Rs.27.00 lakhs by obtaining supplementary grant of

तथापि, जो, निर्माण कार्यों संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 6.73 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.10.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.73 lakhs - due to non-finalisation of tenders for the construction works.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5425'' - ''अन्य व्यय - भवन'' - 6.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 49.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 55.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय के निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 29.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "5425" – "Other Expenditure – Building" - the original provision of Rs.6.00 lakhs was augmented to Rs.55.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.49.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.29.00 lakhs - due to non-finalisation of Science and Technology Museum works.

(III) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य व्यय - विद्युत गृह'' के अंतर्गत 268.00 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अमीनी, अगत्ती और अंद्रोथ में बड़ी मात्रा में तेल भंडारण सुविधाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4801" – "Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure - Power House" – saving of Rs.268.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to non-acquisition of land for bulk oil storage facilities at Amini, Agatti and Androth.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4810'' - ''सौर - फोटोवोल्टीय'' के अंतर्गत 177.02 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 500 केवी पावर ग्रिड की स्थापना संबंधी परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4810" - "Solar - Photovoltaic" - saving of Rs.177.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of project report for setting up of 500 KV Power Grid.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 90 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.90.00 lakhs occurred constituting 90 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - सम्पर्क सड़कों का निर्माण'' - 138.54 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों का निपटान न किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "5054" - "District and Other Roads – Other Expenditure – Construction of Link Roads" - excess of Rs.138.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to settlement of pending claims.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''तटीय जहाजरानी - टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - पोतों का निर्माण - 377.90 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 562.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 10562.00 लाखरु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिन्दुस्तान शिपायार्ड लि. में निर्माणाधीन पोत की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "5052" - "Coastal Shipping - Acquisition and Expansion of Tonnage - Construction of Ships" - excess of Rs.377.90 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.10562.00 lakhs including supplementary grant of Rs.562.00 lakhs obtained in March, 2007) was due to escalation in the cost of ship under construction at Hindustan Shipyard Ltd.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 71.44 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.71.44 lakhs occurred constituting 45 percent of the sanctioned provision.

अनुदान संख्या 99 – शहरी विकास विभाग
GRANT No. 99–DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*26,08,00*	*24,65,64*	*–1,42,36*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1067,79,00		1122,06,00	924,86,70	–197,19,30
पूरक	Supplementary	54,27,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					141,12,26
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*31,00,00*	*22,44,30*	*–8,55,70*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					7,50,00
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1120,54,00		1132,98,00	1054,86,79	–78,11,21
पूरक	Supplementary	12,44,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					62,13,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing		*2608.00*	*2465.64*	*–142.36*

(I) ''अन्य आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें - मरम्मतें'' के अंतर्गत *167.35 लाख* रु. की बचत (*2270.55 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राष्ट्रपति सचिवालय उद्यान स्थापना में रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Housing – Maintenance and Repairs – Repairs" – saving of *Rs.167.35 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.2270.55 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts in Garden Establishment of President's Secretariat.

2. उपर्युक्त बचत एक शीर्ष के अंतर्गत *66.15 लाख* रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई जो स्वीकृत *विनियोग* का 32 प्रतिशत थीं।

2. The above saving was partly offset by an excess of *Rs.66.15 lakhs* under one head constituting 32 percent of the sanctioned *appropriation.*

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (19719.30 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 5427.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.19719.30 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.5427.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	2173.00			
पू.	S.	95.00	2131.42	2054.75	–76.67
पु.	R.	–136.58			
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	8700.00			
			5951.00	5850.51	–100.49
पु.	R.	–2749.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	35511.00			
पू.	S.	2331.00	36379.16	33987.82	–2391.34
पु.	R.	–1462.84			
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	24355.00			
पू.	S.	3001.00	5061.16	2209.34	–2851.82
पु.	R.	–22294.84			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas		13200.00	13030.48	–169.52
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	22800.00	35340.00	35353.80	+13.80
पु.	R.	12540.00			

(I) 15399.00 लाख रु. का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "एकत्रित वित्त विकास निधि" -5000.00 लाख रु. आयकर अधिनियम के संशोधनों की लंबित स्कीम को लागू न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा एकत्रित वित्त विकास निधि बोर्डों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.15399.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.15000.00 lakhs accounted for under Major Head "2217"-"Other Urban Development Schemes-Other Expenditure"- under the following heads:-

(A) "Pooled Finance Development Fund"-Rs.5000.00 lakhs - due to non-implementation of the scheme pending amendments to Income Tax Act and finalisation of guidelines for Pooled Finance Development Fund (PFDF) Boards by the Ministry of Finance.

(खा) ''शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विशेष प्रयोजन वाहनों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि'' - 2500.00 लाख रु. शहरी अवसंरचना निधि के आरक्षित निधि होने के कारण कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) "Viability Gap Fund for SPVs of Urban Infrastructure Projects"-Rs.2500.00 lakhs - due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies being reserve fund for Urban Infrastructure Fund.

(गा) ''ई-अभिशासन पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना''- 7500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(C) "National Mission Mode Project on e-governance" – Rs.7500.00 lakhs – due to non-approval of the scheme.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant remained wholly unutilised under the following major heads as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052'' - ''सचिवालय - शहरी विकास''- 2173.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 95.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2268.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, 213.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित विभागों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) Major Head "2052"-"Secretariat - Urban Development"- the original provision of Rs.2173.00 lakhs was augmented to Rs.2268.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.95.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.213.25 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from client departments.

(खा) मुख्य शीर्ष "2216'' - ''सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें - संसद सदस्यों के बंगलों की मरम्मतें और अनुरक्षण'' - 2000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2331.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4331.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2327.65 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रत्याशित लंबित दावों के मूर्तरूप न ले पाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2216"-"General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs – Repairs and Maintenance of MP Bungalows"- the original provision of Rs.2000.00 lakhs was augmented to Rs.4331.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2331.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2327.65 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of anticipated pending claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें- नगर निगम को सहायता - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' के अंतर्गत 3000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों के पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और क्षमता निर्माण को अंतिम रूप न दिए जाने, नगर विकास योजना और प्रारूप परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण 2816.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) Under Major Head "2217"- "Other Urban Development Schemes – Assistance to Municipal Corporation – Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission" – funds of Rs.3000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2816.34 lakhs – due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies and non-finalisation of Capacity Building, reimbursement of cost of preparation of City Development Plan and Draft Project Report.

(IV) मुख्य शीर्ष "2215'' - ''मल जल और सफाई - नगर निगम को सहायता - चयनित शहरों में विमानपत्तन के निकट ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी प्रायोगिक परियोजना''

(IV) Under Major Head "2215"- "Sewerage and Sanitation - Assistance to Municipal Corporation-Pilot Project on Solid Waste Disposal near Airport

के अंतर्गत 2900.00 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न दिए जाने के कारण हुई।

in Selected Cities"- saving of Rs.2900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to non-approval of revised cost estimates by the Planning Commission.

(V) मुख्य शीर्ष "2216'' - ''सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2216"-"General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''रिहायशी भवनों की मरम्मत और रखरखाव''- 1944.23 लाख रु. की बचत (23552.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की स्वीकृति/निष्पादन में विलंब होने और बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Repair and Maintenance of Residential Buildings" - saving of Rs.1944.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23552.00 lakhs) was due to delay in sanction/execution of works and non-finalisation of bills.

(खा) ''निर्माण'' - 147.05 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों के बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Construction" - saving of Rs.147.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-clearance of bills of work in progress.

(VI) मुख्य शीर्ष "2217'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "2217"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - शहरी सूचना प्रणाली'' - 2170.12 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Other Urban Development Schemes – Other Expenditure – Urban Information System" – saving of Rs.2170.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs);

(खा) ''सामान्य'' -

(B) "General"-

(क) ''निदेशन और प्रशासन - शहरी परिवहन योजना''- 2801.37 लाख रु. की बचत (2999.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Direction and Administration - Urban Transport Planning"- saving of Rs.2801.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2999.00 lakhs); and

(ख) ''अनुसंधान - शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान'' - 2119.16 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Research – Research in Urban and Regional Planning" – saving of Rs.2119.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies.

(VII) मुख्य शीर्ष "2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के

(VII) Under Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for the Projects/Schemes

लिए प्रावधान'' के अंतर्गत 169.52 लाख रु. की बचत (13200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से उपयोग प्रमाणपत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – saving of Rs.169.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments/National Building Construction Corporation (NBCC).

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - अन्य अनुदान - छोटे और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 154.00 लाख रु. की बचत (10849.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल की जा रही है, के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Integrated Development of Small and Medium Towns - Other Grants - Central Assistance for Integrated Development of Small and Medium Towns"- saving of Rs.154.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10849.00 lakhs) was due to less requirement of funds under the scheme which is being subsumed in Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).

(IX) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.29 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

(IX) Under one head saving of Rs.67.29 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (868.16 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2216'' - ''सामान्य पूल आवास - रखरखाव और मरम्मतें - संपदा निदेशालय'' के अंतर्गत 2331.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 602.24 लाख रु. था।

4.(I) The above savings were partly (Rs.868.16 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2331.00 lakh under Major Head "2216"-"General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs – Directorate of Estates". Actual excess, however, was Rs.602.24 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2215'' - ''जलपूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - एयूडब्ल्यूएसपी का छोटे कस्बों में विस्तार'' - 250.51 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभान्वित होने वाले राज्यों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2215" - "Water Supply-Urban Water Supply Programme-Extension of AUWSP to Small Towns"- excess of Rs.250.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to additional demands raised by beneficiary states to complete projects in time.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(B) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(क) ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य अनुदान - मेगा सिटी स्कीम - अवसंरचना विकास'' - 12540.00 लाख रु. का अधिक व्यय (11950.00 लाख रु. के

(a) "Other Urban Development Schemes - Other Grants - Megacity Scheme-Infrastructure Development" - excess of Rs.12540.00 lakhs (against the sanctioned

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - अन्य अनुदान - केंद्रीय शहरी अवसंरचना सहायता स्कीम'' - 167.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय शहरी अवसंरचना सहायता स्कीम के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

provision of Rs.11950.00 lakhs) was due to meet the committed liabilities for on-going projects.

(b) "Integrated Development of Small and Medium Towns - Other Grants - Central Urban Infrastructure Support Scheme"- excess of Rs.167.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to meet the requirement of funds under Central Urban Infrastructure Support Scheme (CUISS).

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	*O.*	*3000.00*	*2350.00*	*2244.30*	*–105.70*
पु.	*R.*	*–650.00*			

(I) *100.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''7601'' - ''*राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम*'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - राष्ट्रपति संपदा'' के अंतर्गत *737.99 लाख* रु. की बचत (*2900.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित मंत्रालय/विभाग से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (7811.21 लाख रु.) अगस्त, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1244.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

(I) *Appropriation* of Rs.*100.00* lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7601"-"*Loans and Advances to State Governments*".

(II) Under "Govt. Residential Buildings – Other Housing – President's Estate" – saving of *Rs.737.99 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.2900.00 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from client Ministry/Department.

6. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.7811.21 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1244.00 lakhs obtained in August, 2006 and March, 2007and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

Savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"					
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	28344.00				
पू.	S.	1244.00		23385.00	21786.79	–1598.21
पु.	R.	–6203.00				

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - लोक सभा/राज्य सभा" के अंतर्गत 1050.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 888.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1938.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1070.74 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रत्याशित लंबित अदायगियों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under "Government Residential Buildings - Other Housing – Lok Sabha/Rajya Sabha"- the original provision of Rs.1050.00 lakhs was augmented to Rs.1938.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.888.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1070.74 lakhs (including supplementary grant) – due to non-materialisation of anticipated pending payments.

(III) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेश मामले" के अंतर्गत 420.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 354.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 774.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो प्रत्याशित लंबित दावों के मूर्तरूप न लेने के कारण 202.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - External Affairs"- the original provision of Rs.420.00 lakhs was augmented to Rs.774.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.354.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.202.77 lakhs– due to non-materialisation of anticipated pending claims.

(IV) "सरकारी रिहायशी भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईः-

(IV) Under "Government Residential Buildings" – savings also occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण" - 4584.53 लाख रु. की बचत (18348.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिंटो रोड और केन नगर, मुंबई आदि की परियोजनाओं के संबंध में कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और स्थानीय

(A) "General Pool Accommodation – Urban Development Construction" – saving of Rs.4584.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18348.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies and non-receipt of clearance of drawings and plans from local bodies in respect of projects

निकायों से आरेखों और नक्शों की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य आवास'' -

(क) ''लेखापरीक्षा'' - 438.12 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''वित्त (राजस्व)'' - 492.12 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4873.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने, चंडीगढ़ में आयकर भवन का कार्य आंबटित न किए जाने, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर में चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने और बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''मौसम विज्ञान'' - 531.73 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित मंत्रालय/विभाग से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''खान'' - 190.46 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) ''रोजगार'' - 109.89 लाख रु. की बचत (155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित मंत्रालय/विभाग से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.66 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

at Minto Road and Kane Nagar, Mumbai etc.

(B) “Other Housing” -

(a) “Audit” - saving of Rs.438.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval and expenditure sanction from the client department.

(b) “Finance (Revenue)”- saving of Rs.492.12 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4873.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-receipt of administration approval and expenditure sanction from the client department, non-award of work of Income Tax Building at Chandigarh, slow progress of on-going works at Mumbai, Hyderabad, Jaipur and non-clearance of bills.

(c) “Meteorology” - saving of Rs.531.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from client Ministry/ Department.

(d) “Mines” - saving of Rs.190.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs); and

(e) “Employment” - saving of Rs.109.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from client Ministry/Department.

(V) Under one head saving of Rs.50.66 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

अनुदान संख्या 100 – लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 100–PUBLIC WORKS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00,00*	*29,95*	*–70,05*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	779,77,00	801,63,00	701,91,44	–99,71,56
पूरक	Supplementary	21,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,16,43
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00,00*	*73,92*	*–26,08*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	267,54,00	316,76,00	279,70,85	–37,05,15
पूरक	Supplementary	49,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,45,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *50.14 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 72 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9971.56 लाख रु.) अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 2186.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving of *Rs.50.14 lakhs* occurred under one head constituting 72 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9971.56 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.2186.00 lakhs obtained in August, 2006 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-